बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–2/अ0प्र0–1–39/2020 60 /पटना, दिनांक :– 20-12-21

श्री दिनेश चौधरी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी अन्तर्गत राज्य कोर नेटवर्क के सी0एन0सी0पी0एल0 के क्रमांक–57 पर अंकित पथ का एम0एम0जी0एस0वाई0 के तहत वर्ष–2014–15 में स्वीकृत Masaurhi Pitwas Road Doripar Road to Beldari Tola (Doripar) पथ (कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि–31.10.2016) का पुनः वर्ष–2018–19 में प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से प्राप्त करते हुए पथ में कार्य कराने के आरोप पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1244 अनु0 दिनांक 03.07.2020 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री चौधरी के पत्रांक शून्य दिनांक 16.12.2020 से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि आलोच्य पथ का प्राक्कलन निर्धारित कंस्लटेन्ट Infrastructure Engineering Services, Flat No.-302, Ribhiya Complex, Jagdeopath, Bailey Road, Patna द्वारा बनाया गया था। जिसपर उनके द्वारा उक्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसे किया जाना उनकी बाध्यता थी, क्योंकि कंस्लटेन्ट द्वारा समर्पित प्रोजेक्ट रिपोर्ट को स्थल पर जाकर जाँचे जाने की प्रक्रिया नहीं थी, और न हीं ऐसा कोई मार्गदर्शन था। आलोच्य योजना के लिए संवेदक के साथ किये गये एकरारनामा के आलोक में संवेदक द्वारा कराये गए कार्यों की मापी के संबंध में श्री चौधरी द्वारा अपने पदीय दायित्वों के अनुसार कार्य किये जाने का उल्लेख किया गया।

3. श्री चौधरी से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी अन्तर्गत CNCPL के क्रमांक–57 पर अंकित पथ के लिए वर्ष 2014 में स्वीकृत पथ की लम्बाई 1.504 कि0मी0 तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 154.41 लाख है। वर्ष 2018–19 में स्वीकृत योजना की लंबाई 0.738 कि0मी0 तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 55.312 लाख है। स्पष्टतः दोनों पथ अलग–अलग आरेखन पर है। यद्यपि दोनों योजनाओं से एक ही गॉव को संपर्कता प्राप्त होती। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित माननीय सदस्या, बिहार विधान सभा की अनुशंसा पर डी0पी0आर0 का गठन किया गया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। इस आलोक में डी0पी0आर0 गठन में सावधानी नहीं रखने के लिये श्री चौधरी को अंशतः दोषी पाया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री दिनेश चौधरी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निदंन (2018–19)

17/12/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–39/2020 1816 /पटना, दिनांक :– 20-12-21

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–39/2020 1816/पटना, दिनांक :– 20-12-21

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री दिनेश चौधरी, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/12/21

अभियंता प्रमुख